परीक्षा ओएमआर (OMR) आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार सम्पन्न करायी जायेगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न प्रश्नपत्र के साथ विभिन्न पालियों में करायी जायेगी।

लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक दिनांकों को विभिन्न पालियों में विभिन्न प्रश्नपत्रों के साथ संचालित कराये जाने की दशा में ऐसी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रसामान्यीकरण (NORMLIZATION) हेतु बोर्ड द्वारा "प्रसामान्यीकरण (NORMLIZATION) प्रक्रिया का प्रकाशन" विषयक सूचना/विज्ञप्ति संख्या–पीआरपीबी–एक–1(155)/2023 दिनांक 18.12.2023 में विहित प्रकिया अपनायी जायेगी।

लिखित परीक्षा के उपरान्त बोर्ड द्वारा उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी तथा प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों के बारे में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जायेगी जिसपर अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां आन लाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न या उसका उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जायेगा और उन निरस्त प्रश्नों के अंकों का वितरण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं0 2669(एमबी)/2009 पवन कुंमार अग्रहरि बनाम उ0प्र0 लोक सेवा आयोग में स्थापित व्यवस्था के अनुसार निम्न सूत्र के अनुरूप किया जायेगा।

सूत्रः- $$\frac{\text{सही उत्तर} \times \text{निर्धारित अंक}}{\text{सही प्रश्नों की संख्या}}$$

लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

टिप्पणीः–

(1) लिखित परीक्षा ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु चार विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को उनमें से किसी एक विकल्प को चुनना है, जो प्रश्न का सही उत्तर हो।

(2) ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की तीन प्रतियां होगी जिनमें से मूल प्रति बाह्य एजेन्सी, द्वितीय प्रति बोर्ड तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी की होगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रति अपने साथ लेकर चले जाने पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

(3) लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रवेश–पत्र यथासमय बोर्ड की वेबसाइट http://uppbpb.gov.in पर उपलब्ध होंगे, जहां से अभ्यर्थी उसे स्वयं डाउनलोड कर प्राप्त कर सकेंगे।

(4) लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथियों व समय की सूचना यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

4.2 अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण (DOCUMENT VERIFICATION & PHYSICAL STANDARD TEST-DV&PST)

लिखित परीक्षा में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। कुल रिक्तियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा योग्यता के आधार पर एवं राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार इस परीक्षण के लिए बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का विनिश्चय किया जायेगा।

(क) अभिलेखों की संवीक्षाः–(DOCUMENT VERIFICATION)

लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर राज्य की आरक्षण नीति के अनुसार एक श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी। इस श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पात्रता, आयु में शिथिलता, अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी (लम्बवत/क्षैतिज) के दावे की पुष्टि करने वाले अभिलेखीय प्रमाण पत्र, अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत अभिलेखों के साथ अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण दल के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से सूचना अभ्यर्थियों के लिए प्रदर्शित की जायेगी व अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे।

संवीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षण दल के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित की गयी सूचना तथा सुसंगत अभिलेखों का अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल अभिलेखों से मिलान किया जायेगा। अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान प्रस्तुत किये गये मूल प्रमाण–पत्र यदि निर्धारित योग्यता/मानक/नियमावली/शासनादेशों के अनुरूप नहीं पाये जायेंगे तो उन्हे स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा तदनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात् किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा व आवश्यकतानुसार अभ्यर्थी के विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्यवाही भी की जायेगी।

(ख) शारीरिक मानक परीक्षणः– (PHYSICAL STANDARD TEST-PST)

(1)–पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत हैः–

(एक) ऊँचाईः

(क) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

(ख) अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

(दो) सीना:

सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए।

टिप्पणी:–न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

(2)–महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:–

(एक) ऊँचाई:

(क) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गो तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

(ख) अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर होनी चाहिए।

(दो) वजन:

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जायेगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रदर्शित किया जायेगा।

यदि कोई अभ्यर्थी अपने शारीरिक मानक परीक्षण से असन्तुष्ट है तो वह परीक्षण के ठीक पश्चात् उसी दिन वहीं आपत्ति दाखिल कर सकता/सकती है। ऐसी समस्त आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी नाम निर्दिष्ट करेगा एवं ऐसे समस्त अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण उक्त नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी की उपस्थिति में संवीक्षा/शारीरिक मानक परीक्षण दल द्वारा पुनः कराया जायेगा। शारीरिक मानक परीक्षण में पुनः असफल पाये जाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और इस सम्बन्ध में अग्रेतर किसी भी स्तर पर अपील ग्रहण नहीं की जायेगी।

4.3–शारीरिक दक्षता परीक्षण (PHYSICAL EFFICIENCY TEST)

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्ह होने के लिए पुरूष अभ्यर्थियों हेतु **4.8** कि0मी0 की दौड़ **25** मिनट में और महिला अभ्यर्थियों हेतु **2.4** कि0मी0 की दौड़ **14** मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते है, भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे। शारीरिक दक्षता

परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अवधारित की जायेगी और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। इस परीक्षण को संचालित किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई पुलिस उपाधीक्षक सदस्य होगा। यदि बोर्ड द्वारा अपेक्षा की जाती है तो समिति के अन्य सदस्य जिला मजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे।

4.4 चयन तथा अन्तिम योग्यता सूचीः–

(अ) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाये गये अभ्यर्थियो में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभागाध्यक्ष को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रकिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा।

(ब) बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी।

(स) **(i)** दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी, जो अधिमानी अर्हता, यदि कोई हो, रखते हों। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

(ii) इसके बाद भी यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को अधिमान प्रदान किया जाएगा।

(iii) यदि उपर्युक्त विचारों के बाद भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के अंक एक समान हों, तो अभ्यर्थी की अधिमानता का अवधारण हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जायेगा।

5–आरक्षण व आयु सीमा में छूट

5.1- लम्बवत् एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है।

महिलाओं के लिए आरक्षण उ0प्र0 शासन के कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्याः18/1/99/का–2/99 दिनांक-26–02–1999 एवं शासनादेश संख्याः18/1/99/का–2/2006 दिनांक 09–01–2007 यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग के शा0सं0–39–रिट/का–2/2019 दिनांक 26–06–2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16–01–2019 के विरूद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या–475/2019 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित होने वालें अंतिम निर्णय के अधीन होगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में राज्याधीन लोक सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयन के समय सभी महिला अभ्यर्थियों को विचार में लिया जायेगा।